

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-II)  
ODISHA :: BHUBANESWAR**

**CIRCULAR**

**Sub: Submission of Impact of Training Forms pending in SAI Portal for the years 2020-21 and 2021-22.**

With reference to letter received from RTI, Ranchi vide Letter No. RTI-Ranchi/ Impact of Training /2021-22/305 dated 07.10.2021, it has come to notice that the participants of various training programmes conducted by RTI, Ranchi have not submitted the impact of training forms in SAI portal for the years 2020-21 and 2021-22. Hence, they are instructed to submit their Impact of Training forms in SAI portal and their Training Completion Certificate to Training & Examination Section (Audit-II) for the years 2020-21 and 2021-22 by **22.10.2021** failing which action as deemed fit may be initiated.

Sd/-

**Deputy Accountant General/ Admn.**

Memo No. Trg & Exam (Audit-II)/RTI Ranchi/Impact of Training/2021-22/106

Date: 11.10.2021

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. Secy. to Pr. Accountant General (Audit-II)
2. DAG (Admn/AMG-I), DAG/AMG-II, DAG/AMG-III
3. B.O I/C Admn (OE/OM/ITA)/AMG-I (Report/Tech./Vetting)/AMG-II (Co-ord)/AMG-III (Report/Tech./Vetting)
4. B.O. I/C EDP Cell to upload the Circular on Office's website.
5. Persons concerned.
6. Notice Board/Spare copy.

*Acharya*

**Sr. Audit Officer/ Trg. & Exam.**

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखापरीक्षा-II)

ओडिशा :: भुवनेश्वर

परिपत्र

विषय: वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए SAI पोर्टल में लंबित प्रशिक्षण के प्रभाव के प्रपत्रों को प्रस्तुत करने हेतु।

आर.टी.आई., राँची के पत्र संख्या आरटीआई- राँची /प्रशिक्षण का प्रभाव/2021-22/305 दिनांक 07.10.2021 के संदर्भ में, यह ध्यान में आया है कि आर.टी.आई., राँची द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए SAI पोर्टल में प्रशिक्षण का प्रभाव के प्रपत्रों को प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे SAI पोर्टल में अपने प्रशिक्षण के प्रभाव के प्रपत्रों को तथा प्रशिक्षण और परीक्षा अनुभाग (ऑडिट-II) को वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए 22.10.2021 तक अपने प्रशिक्षण समापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, जिसमें विफल होने पर उचित कार्रवाई किया जायेगा।

Sd/ -

उपमहालेखाकार / प्रशासन

मेमो संख्या. प्रशि. & परी. (ऑडिट-II)/ आरटीआई राँची/प्रशिक्षण का प्रभाव/2021-22/106 दिनांक: 11.10.2021

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की गई:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) के सचिव
2. उपमहालेखाकार (ए.एम.जी.-I & प्रशासन), उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-II, उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-III
3. प्रशासन (ओ.ई./ओ.एम./आई.टी.ए.)/ए.एम.जी.-I (रिपोर्ट/टेक./ पुनरीक्षण)/ए.एम.जी.-II (को-ऑर्ड)/ ए.एम.जी.-III (रिपोर्ट/टेक./ पुनरीक्षण) के प्रभारी शाखा अधिकारी
4. ई.डी.पी. के प्रभारी शाखा अधिकारी, कार्यालय की वेबसाइट पर परिपत्र अपलोड करने के लिए।
5. संबंधित व्यक्तियों को
6. सूचना पट्ट /अतिरिक्त प्रति

शुभाश्रिता झा

व.ले.प.अ./ प्रशिक्षण & परीक्षा